कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख, जिला जबलपुर (म०प्र०)

क्रमांक 839 /अ.भू.अ./स्था./2025 जबलपुर, दिनांक 06/05/2025

प्रति,

तहसीलदार
तहसील- मझौली
जिला जबलपुर

विषय :- पटवारियों को एग्रीस्टेट एवं अतिरिक्त हल्के का भत्ते के संबंध में।

संदर्भ :- तहसीलदार मझौली का पत्र क्रमांक 245/कानून-गो/तह.2025 मझौली दिनांक 04.04.2025

---oo---

उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। सुश्री रीता सोनी, पटवारी ऑफिस अटैच है जिसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर एग्रीस्टेट भत्ता की मांग की जा रही है, जो की फील्ड में रहने वाले पटवारियों को दिया जाता है। उक्त आवेदन के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

उक्त संबंध में लेख है कि म.प्र. शासन राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक 1063997/2022/सात-5 भोपाल दिनांक 01.10.2023 में स्पष्ट निर्देश है कि पटवारियों को मिलने वाले भत्ते के अतिरिक्त, एग्रीस्टेट भत्त प्रतिमाह रूपये 4000/- देने तथा अिरिक्त हल्का भत्ते में बढोतरी करते हुए 500/-के स्थान पर प्रतिमाह 1000/- करने की स्वीकृति पदान की गई है।

/- पूर्व में जारी कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1552/भू-अभि०/स्था०/2023 जबलपुर दिनांक 11.10.2023 द्वारा पटवारियों को मिलने वाले भत्तों के अतिरिक्त, एग्रीस्टेट भत्ता प्रतिमाह रू. 4000/- देने तथा अतिरिक्त हल्का भत्ते में बढ़ोतरी करते हुए रूपये 500/- के स्थान पर प्रतिमाह रूपये 1000/- भुगतान के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। तथा ऑफिस में आटैच पटवारियों को एग्रीस्टेट भत्ता न दिये जाने के संबंध में पृथक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुये है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में सुश्री रीता सोनी, पटवारी को अतिरिक्त, एग्रीस्टेट भत्ता प्रतिमाह भुगतान करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

संयुक्त कलेक्टर
वास्ते, कलेक्टर जबलपुर

कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख, जिला जबलपुर (म0प्र0)

क्रमांक 1552/अ.भू.अ./स्था./2023 जबलपुर, दिनांक 11 /10 /2023

प्रति,

तहसीलदार
तहसील-जबलपुर/पनागर/कुण्डम/
पाटन/सिहोरा/मझौली/शहपुरा/
अधारताल/रांझी/गोरखपुर
जिला जबलपुर

विषय :- पटवारियों को एग्रीस्टेट एवं अतिरिक्त हल्के का भत्ते के संबंध में।

संदर्भ :- म०प्र० शासन राजस्व विभाग का पत्र क्रमांक 1063/997/2022/सात-5 भोपाल दिनांक 01.10.2023

---oo---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न, जिसमें म०प्र० शासन द्वारा निर्देश जारी कर पटवारियों को मिलने वाले भत्तों के अतिरिक्त, एग्रीस्टेट भत्ता प्रतिमाह रू. 4000/- देने तथा अतिरिक्त हल्का भत्ते में बढ़ोतरी करते हुए रूपये 500/- के स्थान पर प्रतिमाह रूपये 1000/- करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः उपरोक्तानुसार म०प्र० शासन द्वारा जारी निर्देश के पालन में आपकी तहसील में पदस्थ पटवारियों को मिलने वाले भत्तों के अतिरिक्त, एग्रीस्टेट भत्ता एवं अतिरिक्त हल्का भत्ता प्रतिमाह भुगतान करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कर इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(अपर कलेक्टर महो. द्वारा अनुमोदित)

डिप्टी कलेक्टर
वास्ते, कलेक्टर जबलपुर

पृ0क्रमांक/1552/अ.भू.अ./2023 जबलपुर, दिनांक 11 /10 /2023

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त भू-अभिलेख म०प्र० ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. उपायुक्त भू-अभिलेख जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)जबलपुर/कुण्डम/पाटन/सिहोरा/शहपुरा/अधारताल/रांझी/गोरखपुर की ओर सूचनार्थ।

डिप्टी कलेक्टर
वास्ते, कलेक्टर जबलपुर